(1)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : डॉ सत्यवीर यादव RAS

अपील संख्या :- 80/2020

1. गायत्री देवी पत्नि गोपाल आयु 53 वर्ष जाति महाजन निवासी मौहल्ला बूचाहेडा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राज0
2. देवेन्द्र कुमार पुत्र मातादीन आयु 30 वर्ष जाति अहिर निवासी सिकोहपुर तहसील गुडगांव(हरियाणा)

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर (राज0)।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 3666 दिनांक 22.07.2014 व नामान्तरण संख्या 4559 निर्णय दिनांक 27.05.2019 निर्णय द्वारा तहसीलदार तहसील पावटा जिला जयपुर(राज0)

निर्णय

दिनांक 14.12.20

अपीलान्टस नामान्तरण संख्या 3666 दिनांक 22.07.2014 व नामान्तरण संख्या 4559 निर्णय दिनांक 27.05.2019 निर्णय द्वारा तहसीलदार तहसील पावटा जिला जयपुर से व्यथित होकर उक्त स्वीकार नामान्तरणों के विरूद्ध जरिये वकील अपील निम्मन भांति पेश की है–

1. यह है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 803/0.20 है0 वाके मौजा पावटा जिला जयपुर में स्थित है जिसके हिस्सा 25/40 के खातेदार काश्तकार जयप्रकाश पुत्र छाजूराम महाजन निवासी प्रागपुरा से अपीलान्ट ने भू अवाप्ति के बाद दिनांक 23.02.2011 को उसके हिस्से की भूमि मे से हिस्सा 529/2000 जरिये विकय पत्र खरीद किया उसके बाद अपीलान्ट ने 23.02.2011 को जयप्रकाश पुत्र छाजूराम के पक्ष मे एक सहमति पत्र लिखा कि विक्रेता से भूमि अवाप्ति के बाद ही भूमि अपीलान्ट द्वारा कय की गई है इसलिए उक्त नम्बर से जो भूमि अवाप्त की जा रही है वह जयप्रकाश पुत्र छाजूराम के हिस्से की ही अवाप्त की गई है। उसे ही भुगतान किया जावे। उसके बाद भू अवाप्ति अधिकारी के भुगतान आदेश दिनांक 29.11.12 को भू–अवाप्ति की एवज मे अपीलान्ट के नाम मुआवजा राशि एक लाख सतासी हजार सात सौ तेतीस रूपये भुगतान का आदेश किया गया तथा अपीलान्ट के नाम चैक भी जारी किया गया था उसके बाद दोनो पक्षों की सहमति के आधार पर भू–अवाप्ति अधिकारी कार्यालय की टिप्पणी के अनुसार अपीलान्ट के पक्ष मे जारी चैक को निरस्त करवाकर आदेश दिनांक 06.09.2013 के अनुसार अपीलान्ट के पक्ष में जारी चैक को निरस्त कर मूल खातेदार जयप्रकाश पुत्र छाजूराम के पक्ष में दिनांक 18.09.2013 को चैक जारी किया गया इस प्रकार अपीलान्ट की भूमि, भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा एक्वायर ना किया जाकर जयप्रकाश पुत्र छाजूराम की भूमि अवाप्त की गई थी और सम्पूर्ण भूमि का मुआवजा भी जयप्रकाश ने प्राप्त किया है फिर भी नामान्तरण संख्या 3666 के द्वारा अपीलान्ट का हिस्सा घटा दिया गया जो विधि विरूद्ध है इसलिए नामान्तरण संख्या 3666 व 4559 को निरस्त कर अपीलान्ट का हिस्सा दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

Scanned with CamScanner

2. यह है कि अपीलान्ट ने अपना हिस्सा 529/2000 मे से हिस्सा 290/2000 भूरामल पुत्र रामकरण व राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रामस्वरूप जाति अहिर निवासी पाथरेडी को बेचान कर दिया था बेचान के बाद अपीलान्ट का हिस्सा 239/2000 शेष रहा इसके बाद धूड़ा व राजेन्द्र प्रसाद ने श्रीमान के द्वारा निर्णित अपील संख्या 18/2018 निर्णय दिनांक 18.03.2019 से पारित आदेश के आधार पर नामान्तरण संख्या 4559 से अपना हिस्सा 290/2000 से बढ़ाकर दोनो ने अपना अलग-अलग हिस्सा 480/4000 दर्ज करवा लिया जिससे अपीलान्ट का हिस्सा और भी कम हो गया।

3. यह है कि राजस्व कर्मचारियो की अनदेखी के कारण नेशनल हाइवे 08 के पक्ष मे नामान्तरण संख्या 3666 के अनुसार अवाप्त किया गया सम्पूर्ण हिस्सा 816 वर्ग मीटर खसरा नम्बर 803 का मूल रकबा 0.20 हैं0 मे से मूल रकबा 0.1184 हैं0 कम कर दिया गया जिससे अपीलान्ट का हिस्सा स्वतः ही कम हो गया। नामान्तरण संख्या 3666 के बाद 239/2000X1184 हो गया जबकि अपीलान्ट का सामलाती रूप से कुल हिस्सा 40372/200000 राजस्व रिकार्ड मे दर्ज होना चाहिए था उसके बाद इसी खसरा नम्बर के सह खातेदार धूड़ा पुत्र रामकुवार वगैरह ने श्रीमान अदालत के समक्ष एक अपील संख्या 18/2018 व उनवानी धुड़ाराम बनाम राजस्थान सरकार प्रस्तुत कर उसे अपील मे पारित आदेश दिनांक 18.03.2019 के पालना मे नामान्तरण 4559 दर्ज करवा लिया जिससे अपीलान्ट का हिस्सा घटकर मात्र हिस्सा 1/50 रह गया है। जबकि अपीलान्ट का सामलाती हिस्सा 1/50 के स्थान पर 40372/200000 होना चाहिए जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह विनम्र अपील पेश की है।

4. यह है कि भू-अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा राशि अपीलान्ट को भुगतान ना कर जयप्रकाश पुत्र छाजूराम को किया गया है। इसलिए अवाप्तशुदा भूमि का हिस्सा जयप्रकाश पुत्र छाजूराम के हिस्से मे से कम होना चाहिए था

5. यह है कि नामान्तरण संख्या 3666 व श्रीमान द्वारा निर्णित अपील संख्या 18/2018 मे पारित आदेश दिनांक 18.03.2019 से अपीलान्ट के खातेदारी अधिकार प्रभावित हो रहे है तथा उसकी बेशकीमती भूमि का हिस्सा कम हो रहा है। जिन्हे निरस्त किया जाकर विवादित निर्णयों को निरस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

6. यह है कि नामान्तरण संख्या 3666 व 4559 के निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को पहली बार दिनांक 17.11.2020 को हुई है इससे पूर्व दोनो नामान्तरणो की जानकारी नही थी जानकारी होते ही बिना किसी देरी किये श्रीमान अदालत के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी है। अपीलान्ट की जानकारी दिनांक 17.11.2020 से पूर्व की देरी को कनडोन किये जाने बाबत अलग से प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है।

7. यह है कि विवादित भूमि श्रीमान के क्षेत्राधिकार मे है तथा विवादित निर्णय अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली द्वारा पारित किया है तथा भू-अवाप्ति अधिकारी भी श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली ही थे जिन्हे भू-अवाप्ति मे हुई त्रुटि को दुरूस्त करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

8. यह है कि अपील निर्धारित कोर्ट फीस पर पेश है जिसे तय करने का अधिकार श्रीमान न्यायालय को है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पावटा के नामान्तरण संख्या 3666 दिनांक 22.07.2014 व नामान्तरण संख्या 4559 निर्णय दिनांक 27.05.2019 निर्णय द्वारा तहसीलदार पावटा को निरस्त फरमाया जाकर वर्तमान मे जयप्रकाश पुत्र छाजूराम जाति महाजन का अंकित हिस्सा 721/2000 मे से हिस्सा 36372/200000 घटाकर अपीलान्ट का वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे दर्ज अलग-अलग हिस्सा 1/100 के स्थान पर प्रत्येक अपीलान्ट का अलग-अलग हिस्सा 20186/200000 दर्ज करने का आदेश दिया जावे।

Scanned with CamScanner

9. अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील अपील पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता कराई गई रिपोर्ट समात पायी जाने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट की तल्बी विधि अनुरूप जरिये सम्मन नोटिस जारी किये गये बाद तामील होने पर सलग्न पत्रावली किया गया।

10. यह है कि प्रकरण में पटवारी हल्का पावटा से न्यायालय हाजा के पत्रांक कोर्ट/2020/155 दिनांक 02.12.2020 के द्वारा मौका एवं रिकार्ड की वस्तु स्थिति की रिपोर्ट ली गई। पटवारी हल्का द्वारा इसके जवाब मे वर्णित किया है कि आराजी खसरा नम्बर 803 का रिकार्ड अनुसार गायत्री देवी वगैरह मुताबिक जमाबंदी रिकार्डेड खातेदार है। गायत्री देवी वगैरह ने जरिये विक्रय पत्र से 529 वर्गमीटर भूमि जयप्रकाश से क्रय की है। जिसमे से 290 वर्गमीटर भूमि धुडाराम वगैरह को बेचान किया है। शेष भूमि 239 वर्गमीटर पर चारी दीवारी लगाकर मौके पर कब्जा है किन्तु वर्तमान में रिकार्ड मे इनका हिस्सा 40 वर्गमीटर की दर्ज है।

11. बहस सुनी गई वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस में कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 803/0.20 है0 वाकेग्राम पावटा में स्थित है। जिसके 25/40 के खातेदार काश्तकार जयप्रकाश पुत्र छाजूराम महाजन निवासी प्रागपुरा से अपीलान्टस ने भू-अवाप्ति के बाद दिनांक 23.02.2011 को उसके हिस्से की भूमि मे से 529/2000 जरिये विक्रय पत्र से खरीद किया है। उसके बाद अपीलान्टस ने सहमति पत्र जयप्रकाश के पक्ष में दिनांक 23.02.2011 को लिख कर दिया कि जो भूमि अवाप्त की जा रही है वह जयप्रकाश पुत्र छाजू की अवाप्त की जा रही है उसका भुगतान किया जावे। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा दिनांक 29.11.2012 को अपीलान्ट के नाम मुआवजा राशि भुगतान के आदेश किया गया इसके बाद दोनो पक्षों की सहमति के आधार पर अपीलान्ट के पक्ष मे जारी चैक को निरस्त कराया जाकर मूल खातेदार जयप्रकाश पुत्र छाजू के पक्ष में दिनांक 18.09.2013 को चैक जारी किया गया। इस प्रकार उक्त खसरा नम्बर की भूमि से भू-अवाप्ति अधिकारी द्वारा अपीलान्ट की भूमि को एक्वायर ना किया जाकर जयप्रकाश पुत्र छाजूराम की भूमि अवाप्त की गई थी जो सम्पूर्ण भूमि का मुआवजा भी उसी ने ही प्राप्त किया है फिर भी नामान्तरण संख्या 3666 के द्वारा अपीलान्ट का हिस्सा घटा दिया गया जो विधि विरूद्ध है। अपीलान्ट ने अपने हिस्सा 529/2000 मे से हिस्सा 290/2000 धूडाराम पुत्र रामकरण व राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रामस्वरूप जाति अहिर निवासी पाथरेडी को बेचान कर दिया। अपीलान्ट का हिस्सा 239/2000 शेष रहा। नामान्तरण संख्या 4559 से धूडाराम वगैरह ने हिस्सा 290/2000 से बढाकर दोनों ने अपना अलग-अलग हिस्सा 489/4000 दर्ज करवा लिया जिससे अपीलान्ट का हिस्सा और भी कम हो गया।

नामान्तरण संख्या 3666 के बाद 239/2000X1184 हो गया जबकि अपीलान्ट का सामलाती रूप से कुल हिस्सा 40372/200000 राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना चाहिए था इसके बाद इसी खसरा नम्बर के सह खातेदार धूडा पुत्र रामकरण वगैरह ने अपील संख्या 18/2018 धूडाराम बनाम सरकार मे पारित आदेश 18.03.2019 की पालना मे नामान्तरण संख्या 4559 दर्ज करवा लिया जिससे अपीलान्ट का हिस्सा घटकर मात्र हिस्सा 1/50 रह गया जबकि अपीलान्ट का सामलाती हिस्सा 1/50 के स्थान पर 40372/200000 होना चाहिए इससे प्रभावित है कि अपीलान्ट का हिस्सा कम होकर दर्ज रिकार्ड हुआ है। इसलिए उक्त नामान्तरण संख्या 3666 व 4559 को अपास्त करने के बजाय अपीलान्ट का हिस्सा दुरूस्त किया जाकर अपीलान्टस द्वारा क्रयशुदा शामलाती हिस्सा 239 वर्गमीटर को पूरा करने के लिए जयप्रकाश पुत्र छाजू के हिस्से 721/2000 मे से 36372/200000 घटाकर प्रत्येक अपीलान्ट के पक्ष मे वर्तमान दर्ज हिस्सा 1/100 मे हिस्सा 18186/200000 जोडा जाकर अपीलान्टस के

पक्ष में अलग–अलग राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कराके तथा अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार फरमावें।

12. पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार पावटा द्वारा बहस मे कथन किया है कि प्रकरण हिस्सा दुरूस्ती संबंधित है यदि पक्षकारों का हिस्सा सही दर्ज किया जावे तो हमें कोई आपत्ति नही है।

13. उभय पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तो पाया कि आराजी खसरा नम्बर 803 वाके मौजा पावटा बाबत नामान्तरण संख्या 3666 दिनांक 22.07.2014 व 4559 निर्णय दिनांक 27.05.2019 तहसीलदार पावटा द्वारा स्वीकार किया जाना पाया जाता है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजों के आधार पर अपीलान्ट का हिस्सा प्रभावित होकर कम दर्ज होना प्रमाणित है। उक्त नामान्तरण संख्या 3666 व 4559 को अपास्त करने के बजाय अपीलान्ट का हिस्सा दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है तथा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गई अपील को स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।चुंकि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट का अलग–अलग हिस्सा 1/100 राजस्व दर्ज रिकार्ड है अपीलान्टस द्वारा जयप्रकाश से क्रय की गई भूमि धुडाराम वगैरह को 290 वर्गमीटर भूमि का बेचान करने के पश्चात शेष बची शामलाती भूमि हिस्सा 239 वर्गमीटर पूरा करने के लिए जयप्रकाश पुत्र छाजूराम के हिस्से 721/2000 मे से 36372/200000 घटाकर प्रत्येक अपीलान्ट के पक्ष में वर्तमान दर्ज हिस्सा 1/100 मे हिस्सा 18186/200000 जोडा जाकर अपीलान्टस के पक्ष मे अलग–अलग हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करने के आदेश प्रदान किये जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तहसीलदार पावटा को पालनार्थ हेतु आदेश की प्रमाणित प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

14. यह निर्णय आज दिनांक 14.12.20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति0जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)